न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
फौजदारी वाद संख्या–268/2022
CNR N0-UKCL020003912022
धनीराम पाल बनाम राजू शाह।

धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।

दिनांकः–06.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई, वाद पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित, परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिह रावत उपस्थित, जिनके द्वारा परिवादी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 14ख प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में आज हेतु स्वीकृत परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर इस आशय का पृष्ठांक किया गया कि प्रस्तुत मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202 के अन्तर्गत परिवादी को अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। धारा 202 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की तलबी हेतु बहस सुनी गयी। पत्रावली आदेश हेतु लंच वाद पुनः प्रस्तुत की जाय।

दिनांकः–06.08.2022

लंच वाद।

पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई, वाद पुकारा गया। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत आहूत किये जाने हेतु संक्षेप में इन अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को रू धनराशि का चैक संख्या "889740" को अपने बैंक दिनांक 08.04.2022 पंजाब नैशनल बैंक शाखा गोपेश्वर, 2,60,000/–(दो लाख साठ हजार रूपय) की को दिया गया। परिवादी द्वारा उक्त चैक संख्या "889740" को पंजाब नैशनल बैंक शाखा गोपेश्वर, में जमा किया तो उक्त चैक बैंक द्वारा इस आशय के मैमो के साथ वापस कर दिया कि निधि अपर्याप्त है, जिस पर परिवादी ने दिनांक 17.05.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस भेजा जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है। किन्तु, अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त चैक की धनराशि अदा नहीं कि गयी। परिवादी द्वारा परिवाद के साथ धारा 200 दण्ड़ प्रकिया संहिता के अन्तर्गत उसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा दिया गया मूल प्रश्नगत चैक दिनांकित 08.04.2022 प्रपत्र संख्या 6क, परिवादी द्वारा उक्त चैक को अपने बैंक खाते में लगाये जाने पर बैंक का रिटर्न मौमो प्रपत्र संख्या 7क, विपक्षी को दिया गया। नोटिस दिनांकित 17.05.2022 प्रपत्र संख्या 8क/1 लगायत 8क/2, परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस की रसीद प्रपत्र संख्या 9क प्रस्तुत की गयी।

परिवादी के बयान एवं परिवाद के साथ दाखिल प्रपत्रों व अभियुक्त को भेजे गये नोटिस के आधार पर परिवाद प्रथम दृष्टया सशपथ बयानों एवं परिपत्रों से समर्थित है। अभियुक्त द्वारा पर्याप्त नोटिस तामीली के पश्चात भी परिवादी को दिये गये चैक की धनराशि रू 2,60,000/–(दो लाख साठ हजार रूपय) का भुगतान नहीं किया है। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय के मत में अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को प्रकरण में धारा–138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त माला देवी को धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध हेतु न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादी 07 के दिन भीतर अभियुक्त की तलवी हेतु पुलिस के माध्यम से समन भेजे जाने के साथ–साथ स्पीड़ पोस्ट से भी समन (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस0 प्रभु(2010) 05 एस0 सी0 सी0 में पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिवर्तित समन) भेजने हेतु स्पीड़–पोस्ट लिफाफा व वान्छित डाक हेतु पैरवी करें।

पत्रावली दिनांक 01.09.2022 को अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रस्तुत हो।

(उपाधि सिंघल)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोपेश्वर।